

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (दलहन) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण यन्त्र हस्त चालित स्प्रे पम्प अनुदान पर किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in under the link **E-Agri Schemes Governance link** पर आनलाईन आवेदन दिनांक 28-02-2019 तक कर सकते हैं ।

1. जिलावार हस्त चालित स्प्रे पम्प(कृषि यन्त्र एवं औजार) के वितरण के लक्ष्य निम्न प्रकार है ।

District wise physical and financial target of Manual Sprayer for other farmer (Rs. 500/Unit or 40% of cost whichever is less)			
Sr. No.	Name of Districts	Physical targets (in no.)	Financial targets (Rs. in lakhs)
1	Ambala	100	0.5
2	Bhiwani	120	0.6
3	Faridabad	80	0.4
4	Fathabad	100	0.5
5	Gurgaon	78	0.39
6	Hisar	120	0.6
7	Jhajjar	120	0.6
8	Jind	120	0.6
9	Karnal	120	0.6
10	Kurukshetra	140	0.7
11	Kaithal	140	0.7
12	Mohindergarh	100	0.5
13	Mewat	100	0.5
14	Panchkula	80	0.4
15	Panipat	100	0.5
16	Palwal	100	0.5
17	Sonipat	120	0.6
18	Rohtak	120	0.6
19	Rewari	120	0.6
20	Sirsa	200	1
21	Y. Naghar	120	0.6
	Total	2398	11.99

विशेष दिशा निदेश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 हस्त चालित स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. किसान हस्त चालित स्प्रे पम्प की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और भूमि सुधार विकास निगम/हरियाणा बीज विकास निगम/सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।